न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1075–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–03–2016 पारित द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 184/14–15/अपील.

1– प्रीतम पुत्र धर्मा
2– संतराम पुत्र प्रीतम
3– भूरा पुत्र सूखा
4– अखेसिंह पुत्र रामजी
5– पूरनसिंह पुत्र रामजी
6– जगदीश पुत्र रामजी
7– चन्दनसिंह पुत्र भूरा
8– जूली पुत्र भूरा
9– उत्तम पुत्र भूरा
निवासी गण ग्राम सहसारी तहसील घाटीगांव,
जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

राकेश पुत्र नन्दू किरार
निवासी ग्राम सहसारी तहसील घाटीगांव,
जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री पी0एन0शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि

ग्राम सहसारी जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2021/मिन–2 रकबा एक बीघा यानि 0.209 हेक्टेयर भूमि उसके स्वामित्व की है । उसके द्वारा दिनांक 11–4–15 को अपनी भूमि का सीमांकन कराया तब उसे ज्ञात हुआ कि आवेदकगण द्वारा उसकी भूमि पर भूसे आदि के कूप लगाकर एवं अपनी अपनी स्थिति में बॉगड लगाकर कब्जा किया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/14–15/अ–70 दर्ज कर दिनांक 15–6–15 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण को बेदखल करने का आदेश दिया गया । साथ ही रुपये 33,231/– का जुर्माना अधिरोपित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–8–15 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 8–3–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण को बेदखल कर सिविल जेल की कार्यवाही करें और उनके द्वारा झूठे शपथपत्र प्रस्तुत करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय एफआईआर दर्ज करने के लिये स्वतंत्र होने संबंधी आदेश पारित किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक की भूमि पर कैसे कब्जा किया गया है ? न तो आवेदकगण द्वारा अनावेदक की भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और न ही उनके द्वारा किसी प्रकार का निर्माण किया गया है । केवल गाय बांधना आवेदकगण के कब्जे की श्रेणी में नहीं आता है । संहिता की धारा 2 के अन्तर्गत कृषि कार्य करना अथवा मकान बनवाना अवैध कब्जे की परिभाषा में आता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में पटटे की जॉच नहीं कराई जा सकती है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उनका कब्जा नहीं है और अनावेदक से उनका समझौता हो गया

है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी आधार पर प्रकरण निरस्त करना चाहिये था । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की भूमि पर 9 व्यक्तियों के द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता है, इसलिये संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र का है इसलिये निगरानी नहीं हो सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दखल रहित भूमि अधिनियम 1984 के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध, 1984 के अन्तर्गत पटटा दिया गया है तब अनुविभागीय अधिकारी को अपील होगी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदकगण की आपत्ति का निराकरण करते हुये आदेश पारित किया गया है जिसे स्थिर रखने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है जिनमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त किये ज़ाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 18/14–15/अपील में दिनांक 30–7–2016 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी निरर्थक होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि निगरानी निरस्त करते हुये तहसीलदार को निर्देशित किया जाये कि शासकीय भूमि से नियमानुसार अवैध कब्जा हटाया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त करते हुये तहसीलदार को प्रश्नाधीन भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर